



विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री अवास)

विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010

CIN : U32201UP1999SGCO24928

(विज्ञापन सं० 07/VSA/2022/PO)

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० हेतु समूह 'ख' के अन्तर्गत "कार्मिक अधिकारी" के पद हेतु, निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :


1. रिक्तियों का विवरण:-

पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	EWS (आर्थिक कमजोर वर्ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु०जन जाति
15	कार्मिक अधिकारी (PERSONNEL OFFICER)	02	01	02	0	00

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमत्त है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक -1 में अंकित Normalisation method श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. सामान्य अर्हतायें :-

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवर्जन (Migrate) किया हो। परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।
(ii)	आयु	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम - 21 वर्ष दिनांक 01.01.2022 को अधिकतम - 40 वर्ष
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	सेवायोजन के लिये अभ्यर्थी को निम्न से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा: (i) विश्वविद्यालय या विद्यालय के प्राक्टर या प्रधान शैक्षिक अधिकारी जैसा भी हो, जहाँ से उसने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की हो। (ii) दो ऐसे संबन्धित व्यक्तियों (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों), जो उसके निजी जीवन से



		भली-भाँति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, कालेज या विद्यालय से जुड़े न हो, परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी जहाँ आवश्यक समझे अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में अग्रिम अन्य कोई जाँच किसी अधिकारी/प्राधिकारी से किसी रूप में करा सकता है। (iii) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। टिप्पणी — भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विद्युत परिषद/कारपोरेशन द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
(iv)	शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वस्थता परीक्षण पास कर लें। कार्मिक अधिकारी के पद हेतु शारीरिक स्वस्थता का स्तर वह होगा जो राजकीय विभागों में श्रेणी-2 के राजपत्रित अधिकारियों के लिये निर्धारित है।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी हो, परन्तु निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

3. वेतनमान:— वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे।

4. अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:— आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।

(क) देवनागरी लिपि में हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान। (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (ग) मानव संसाधन/मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबन्धन/मानव संसाधन एवं औद्योगिक सम्बन्ध के साथ दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर प्रोग्राम।

(घ) **अनुभव** — श्रम औद्योगिक सम्बन्ध व श्रम कल्याण इत्यादि के मामलों में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 01 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

या

मानव संसाधन प्रबन्धन में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 01 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

(च) **वरीयमान अर्हता**— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।

नोट:—दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सीधी भर्ती हेतु मान्य नहीं होगा।

5- आयु में अनुमन्य छूट:— (क) अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी।

6. आरक्षण :- आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे।

आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं हैं, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

नोट:—नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रद उपलब्ध नहीं हैं।



7. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण:—अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उसे लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवासा प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र से मिलान के पश्चात् जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्टेड आमंत्रित अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि)नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी का साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। अभिलेखों के जाँच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान-कीमीलेयर) (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है) प्रस्तुत करना होगा।

8. अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।


9. चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के 2 गुने से अधिक नहीं होगी। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में अन्तिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंको को मिलाकर श्रेष्ठता के आधार पर, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्यानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। चयनित सूची में यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को सूची में ऊपर रखा जायेगा; यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा; यदि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं आयु भी बराबर है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा की अवधि एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :-

पद का नाम	लिखित परीक्षा (अवधि-3 घंटे)	अंकों का विवरण
कार्मिक अधिकारी	200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न-200 अंक (प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 अंक अतिरिक्त काटे जायेंगे।)	1) 200 अंक लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं।) 2) 25 अंक साक्षात्कार

10.परीक्षा स्थान:— परीक्षार्थे यथासंभव लखनऊ, मेरठ आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

11.आवेदन कैसे करें: कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. '07/VSA/2022/PO' FOR THE POST OF PERSONNEL OFFICER पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भाँति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर अन्तिम परीक्षाफल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।



12. प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल एवं SMS पर प्रेषित की जायेगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

13. अन्य विशेष सूचना :

- (1) अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (2) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।
- (3) सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा एक-एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
- (4) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पाये जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- (5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdeskpo.722@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

14. पारदर्शिता:- परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-

लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 03 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस शीट अपने लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा जिसे आयोग द्वारा अलग से उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

16. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जज:- आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान-क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन (जी0एस0टी0 सहित)
----	--	---

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/Payment Gateway अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

17. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	02.06.2022 से 22.06.2022 तक
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	02.06.2022 से 22.06.2022 तक
3	एस0बी0आई0 चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 22.06.2022)	02.06.2022 से 24.06.2022 तक
4	परीक्षा की सम्भावित अवधि	जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह सचिव

पत्रांक: 1223/विसेआ/07/VSA/2022/PO दिनांक: 18/05/2022



(Handwritten signature)

Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (X_n)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisection papers.

$$X_n = \frac{S_2}{S_1} * (X - X_{av}) + Y_{av}$$

S₂	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S₁	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S ₂)
X	Raw score of a candidate
X_{av}	Simple average of the candidate Shift
Y_{av}	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

